कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/ 108 दिनांकः–

–:कार्यवाही विवरणः–

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2023 वीं बैठक दिनांक 13.04..2023 को जोन–2 की बैठक आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2022 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।			
1.	जोन–2	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 295/1 व 295/9 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 2165.26 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। आवेदक :– श्री दीपेश माथुर पुत्र स्व. श्री दिनेश चन्द्र माथुर JOD/2022-23/BPAS/8785 दिनांक 17.08.2022 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2023 वीं बैठक दिनांक 13.04.2023	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 01. नगरीय क्षेत्र जोधपुर भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 02. प्रस्तावित पार्किग हेतु प्रार्थी द्वारा जो.वि.प्रा. के हक में अण्डर टेकिगं व शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जावें। 03. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर जमा करावें। 04. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क/शास्ति जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
2.	जोन–2	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 209 के स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित भूखण्ड संख्या 'ए' क्षेत्रफल 4093.73 वर्गमीटर पर वाणिज्यिक भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्। आवेदक :– AVENUE SUPERMARATS LIMITED THROUGH AUTHORIZED REPRESENTATIVE JUDE FARNANDEZ S/D/W of Mr.VICTOR FERNANDEZ भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2023 वीं बैठक दिनांक 13.04.2023	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्राधिकरण कार्यालय आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गयाः– 01. प्राधिकरण द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति क्रमांक 6634 दिनांक 06.10.2021 की समस्त शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जावें। 02. नगरीय क्षेत्र जोधपुर भवन विनियम 2020 के अनुसार विनियम 10.11 में उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करनी होगी। 03. प्रस्तावित पार्किग का उपयोग केवल मात्र पार्किग हेतु ही किया जावेंगा। 04. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर जमा करावें जाने की रसीद प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत की जावें।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/04/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर